



0151-2250006

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Plot No. SPL-33, Phase-2nd, Bhicchwal Industrial Area,
Bikaner – 334001

Email: ro-bikaner@gmail.com

www.rpcb.rajasthan.gov.in

RPCB/RO BIKANER/BM-714/1436

Date : 09/11/2023

Member Secretary,
State Level Expert Appraisal Committee, Rajasthan
4, Institutional Area, Jhalana Doongri
Jaipur.

Sub: - **Regarding Public Hearing for Environmental Clearance of Mining Project of M/s Shri Yash Agarwal S/o Shri Anuj Agarwal, (Reference No 20211000046674, Area 3.9890 Ha. & Production Capacity 3,88,700 TPA (ROM)) {Ball Clay, Silica Sand, Kankar, Gravel & Murram} (Cluster Area:- 7.9782 Hac.) At/Near Khasra No. 52, Village – Deh, Tehsil- Kolayat, District- Bikaner.**

Ref.: - Public Hearing conducted on dated 03.10.2023.

Sir,


Apropos above, it is informed that the public hearing in the matter of Environment Clearance for the Mining Project of M/s Shri Yash Agarwal S/o Shri Anuj Agarwal, (Reference No 20211000046674, Area 3.9890 Ha. & Production Capacity 3,88,700 TPA (ROM)) {Ball Clay, Silica Sand, Kankar, Gravel & Murram} (Cluster Area: - 7.9782 Hac.) At/Near Khasra No. 52, Village – Deh, Tehsil- Kolayat, District- Bikaner was conducted on 03.10.2023 at Gram Panchayat Bhawan Chak Bandha No. 1 (Sankhla Basti), Tehsil- Kolayat, District- Bikaner.

The minutes of the public hearing along with CD of videography of Proceedings and photographs are being forwarded in original for examination and further necessary action at the level of State level Environmental Impact Assessment Authority (SEIAA) under EIA notification, 2006.

Enclosed: -

- (i) One set of minutes of the Public Hearing
- (ii) One set of Attendance Sheet
- (iii) Copy of Objection letter
- (iv) One set of Videography of the proceedings (1 CD)
- (v) One set of Photographs

Yours Sincerely


(Pradeep Kumar Asnani)
Regional Officer

Copy to following for information & necessary action: -

1. Member Secretary/Group Incharge (Mines), Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.
2. Additional District Magistrate (Adm.), Bikaner
- ✓ 3. Analyst Cum Programmer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur with request to upload the proceedings of public hearing on Board's website.
4. Shri Yash Agarwal S/o Shri Anuj Agarwal, B-93, Samta Nagar, Bikaner.


Regional Officer

जन-सुनवाई कार्यवृत्त

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत मैसर्स श्री यश अग्रवाल पुत्र श्री अनुज अग्रवाल, (खसरा नम्बर 52), रेफरेन्स नम्बर 20211000046674, क्षेत्रफल 3.9890 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 388700 टी.पी.ए. (रोम) (बॉल क्ले, सिलिका सेंड, कंकर, ग्रेवल एवं मुर्रम), निकट ग्राम— डेह, तहसील—कोलायत, जिला—बीकानेर जो की क्लस्टर परियोजना (मैसर्स श्री यश अग्रवाल पुत्र श्री अनुज अग्रवाल, (खसरा नम्बर 52), रेफरेन्स नम्बर 20211000046674, क्षेत्रफल 3.9890 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 388700 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स आर.एस.सी. माईन्स एण्ड मिनरल्स, रेफरेन्स नम्बर 20201000023951, क्षेत्रफल 3.9892 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 385580 टी.पी.ए. (रोम)} कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 7.9782 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता—774280 टी.पी.ए.(रोम), में स्थित है, उक्त प्रस्तावित खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई दिनांक 03.10.2023 को ग्राम पंचायत भवन—चक बन्धा नं 1(साँखला बस्ती), तहसील—कोलायत जिला—बीकानेर (राजस्थान) में प्रातः 11.00 बजे से जिला कलेक्टर बीकानेर के प्रतिनिधि श्री प्रतिभा देवठिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर(प्रशासन), बीकानेर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 02.09.2023 को समाचार पत्र इण्डियन एक्सप्रेस एवं दैनिक युगपक्ष में प्रकाशित करवाई गई थी जिसकी प्रतियाँ परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री प्रदीप कुमार आसनानी, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर ने सभी आगुन्तको का स्वागत करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अंतर्गत सुनवाई की आवश्यकता /प्रक्रिया के बारे में अवगत करवाया एवं एवं बताया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा सभी आमजन से खनन परियोजना से जुड़ी जानकारी को ध्यान से सुनने एवं समझने हेतु निवेदन किया गया तथा पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने के बाद आपत्ति या सुझाव दर्ज करवाने हेतु भी निवेदन किया गया। इसके पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु मैसर्स श्री यश अग्रवाल पुत्र श्री अनुज अग्रवाल, माईन्स के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार "मैसर्स मंत्राज ग्रीन रिसोर्सेज लिमिटेड" को आमंत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार "मैसर्स मंत्राज ग्रीन रिसोर्सेज लिमिटेड" के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, जिसके अन्तर्गत बताया कि इस खनन ईकाई का रेफरेन्स नम्बर 20211000046674, कुल खनन क्षेत्र 3.9890 हेक्टेयर, खनिज— बॉल क्ले, सिलिका सेंड, कंकर, ग्रेवल एवं मुर्रम एवं उत्पादन क्षमता 388700 टी.पी.ए. (रोम) है। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, क्लस्टर परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव

एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना कि विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर के क्षेत्रीय अधिकारी महोदय श्री प्रदीप कुमार आसनानी ने जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपना आक्षेप एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

श्री गज्जेसिंह, सरपंच ग्राम सांखला बस्ती द्वारा खनन ईकाई को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का विरोध किया गया एवं आक्षेप किया गया कि खनन पट्टा धारकों द्वारा जन सुनवाई के दौरान सी.एस.आर फण्ड से ग्राम विकास हेतु सहयोग करने की घोषणाएं की जाती है परन्तु वास्तविकता में किसी भी खनन ईकाई द्वारा सी.एस.आर. फण्ड से ग्राम विकास हेतु सहयोग प्रदान नहीं किया जाता है। खनन ईकाईयों द्वारा पौधारोपण भी नहीं किया जाता है न ही धूल दमन हेतु पानी का छिड़काव किया जाता है। सरपंच महोदय द्वारा यह भी बताया गया की खनन के दौरान लोडेड वाहन गाँव की सड़कों से गुजरते हैं जिस कारण से रोड़ टूट जाती है एवं गड्ढे हो जाते है परन्तु खनन पट्टा धारकों द्वारा इस हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाये जाते है तथा नियमों की पालना नहीं की जाती है। सरपंच महोदय द्वारा यह भी आक्षेप लगाया गया की जन सुनवाई की सूचना ग्राम पंचायत व ग्रामवासियों को नहीं दी गई जिस कारण से जन सुनवाई का बहिष्कार किया जाता है। उक्त आक्षेप को लिखित में क्षेत्रीय अधिकारी को प्रस्तुत किया गया जो कि परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने दिये लिखित प्रस्ताव के ऊपर खनन ईकाई के प्रतिनिधि से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया।

खनन ईकाई के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि खनन कार्य शुरू होने के उपरान्त सभी नियमों का यथा संभव पालन किया जायेगा। खनन ईकाई व गाँव में ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण किया जायेगा। धूल दमन हेतु हर संभव प्रयास यथा पानी का नियमित छिड़काव, ट्रकों को तिरपाल से ढकना इत्यादि कार्य किये जायेगें। गाँव से गुजरने वाले रास्तों का रखरखाव करना सुनिश्चित किया जायेगा। खनन कार्य में गाँव के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। खनन ईकाई के प्रतिनिधि द्वारा सी.एस.आर फण्ड से ग्राम विकास हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करने की सहमति दी गई।


क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित अन्य ग्रामवासियों से सुझाव अथवा आक्षेप दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया गया।


श्री दलीप सिंह ने कहा कि पट्टा धारक द्वारा वृक्षारोपण नहीं किया जायेगा। इनके द्वारा नियमों की पालना नहीं की जायेगी। इनके द्वारा वाहनों को तिरपाल से नहीं ढका जायेगा साथ ही ऑवरलोड ट्रकों के निकलने से ग्रामीणों को समस्याएँ होगी। माईन्स में कार्यरत श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं करवाये जायेगें। खनन के दौरान होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिये कोई उपाय नहीं किये जायेगें। सड़कों पर पानी का छिड़काव नहीं किया जायेगा। हरित पट्टीका हेतु वृक्षारोपण नहीं किये जायेगें। खनन में उपयोग होने वाली मशीनों का सही प्रकार से रखरखाव नहीं करेगें जिससे आस-पास के लोगो को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यह

भविष्य में ग्रामीणों का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे। पट्टेदारों व ग्राम पंचायत का समर्थन नहीं करेंगे। क्षेत्र में सार्वजनिक सुविधा व विकास के लिये सहायता प्रदान नहीं करेंगे। स्थानीय निवासियों को कार्य न देकर बाहर के लोगों को रोजगार देंगे। वर्षा के जल में क्ले धुल कर आस पास के खेतों में जायेगा उससे किसानों को भारी नुकसान होगा। माईनिंग के दौरान कई बार विषेले प्रदार्थ निकलेगें जो मिट्टी को प्रदूषित करेंगें। ऑवर बर्डन को आस पास के किसानों की भूमि पर डाल दिया जायेगा। आस-पास के जीव जन्तुओं को माईनिंग के कारण परेशानी का सामना करना पड़ेगा। माईनिंग के कारण आस-पास के तालाब भी प्रभावित होंगें। माईनिंग क्षेत्र के चारो तरफ किसी प्रकार की तारबंदी नहीं की जायेगी। श्री दलीप सिंह द्वारा उक्त आक्षेपों को लिखित में क्षेत्रीय अधिकारी को प्रस्तुत किया गया जो कि परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने दिये लिखित प्रस्ताव के ऊपर खनन ईकाई के प्रतिनिधि से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया।

खनन ईकाई के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उक्त खनन ईकाई अभी प्रस्तावित है जिसके पर्यावरण स्वीकृति मिलने के उपरान्त शुरू होने पर सभी नियमों एवं शर्तों यथा पौधारोपण, नियमित पानी का छिड़काव स्थानीय लोगों को रोजगार जैसे सुझावों की पूर्ण पालना की जायेगी। प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि ग्राम पंचायत एवं स्थानीय निवासीयों के सहयोग से सभी ग्रामीणों के हितों का ध्यान रख कर गाँव के विकास हेतु उचित प्रयास किये जायेंगें।

अन्त में श्री प्रदीप कुमार आसनानी, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर ने श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय एवं उपस्थित जन समुदाय को जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया एवं जनसुनवाई के समापन की घोषणा की।


(प्रदीप कुमार आसनानी)
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.रा.प्र.नि.म., बीकानेर





(प्रतिभा देवठिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
कार्यालय, जिला कलक्टर, बीकानेर

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों एवं नागरिकों का उपस्थिति पत्र

मैसर्स श्री यश अग्रवाल पुत्र श्री अनुज अग्रवाल, (खसरा नम्बर 52), रेफरेन्स नम्बर 20211000046674, क्षेत्रफल 3.9890 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 388700 टी.पी.ए. (रोम), निकट ग्राम-डेह, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर (बॉल क्ले, सिलिका सैंड, कंकर, ग्रेवल एवं मुर्रम माईन्स) में प्रस्तावित है कि पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 03.10.2023 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।

स्थान:- ग्राम पंचायत भवन, चक बन्धा नं 1 (साँखला बस्ती), तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर
दिनांक:-03.10.2023 समय प्रातः 11.00 बजे।

क्र.स.	नाम	पद एवं विभाग/कार्यालय	हस्ताक्षर
1.	श्री. प्रतिभा देवठिया	Adm (Admin), Bikaner	
2.	श्री. सुभाष कर्मा	RO, RSPCD	
3.	गिरीश व्यास	AEN, RO, RSPCB	
4.	Yash Aggarwal	Mine Owner	
5.	कमलेश	ए.ए.ओ. डेह	
6.	नील नाथ		
7.	जुवाराभ	कौन्सिलर	
8.	महेश		
9.	नयुराम		
10.	डा. एन. एस.		
11.	महेश		
12.	मामूराम		
13.	राम प्रसाद सील		
14.	कार्तिकेय पाल		
15.	जोगराम		
16.	सुशान्त		

17.	अरविंद कुमार	रंग	
18.	इशार राक	रिफ्लेज	
19.	मुकेश भाट		मुकेश
20.	सुमान		
21.	मनीष		मनीष
22.	Arvind Vajshnav	Mantras green Jaipur	
23.	Vivek Jyani	Mantras Green Resumes Jaipur	
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			

कार्यालय ग्राम पंचायत चक बन्धा नं. 1 सा. 6

2023

सेवा में

क्र. 19/चक 1/2023/18

दिनांक 03/11

श्रीमान क्षेत्रिय अधिकारी
राजराज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडल
बीकानेर

महोदय जी

विषय :- पर्यावरण रक्षित को लेकर गा.प. स्तर जनसुनवाई वित्त
नेम निवेदन है, कि आज दिनांक 03/10/2023 को

03.10.2023 को ग्राम पंचायत चक बन्धा नं. 1 सा. 6
में ग्राम डेह की माइंस लीज विन क्ले, यश अग्रवाल
माइंस की पर्यावरण रक्षित को लेकर जनसुनवाई का
आयोजन रखा गया है जिसमें ग्रामीण व ग्राम पंचायत
कोई सूचना नहीं है। जिस कारण ग्रामीण इसमें
ग्रामीण पूर्ण रूप से आग नहीं ले सके हैं जिस कारण
जनसुनवाई का आयोजन सफल नहीं हो सका है।

इसलिए ग्राम पंचायत इस जनसुनवाई
का पूर्ण रूप से बहिष्कार करती है।

चन्धबाद

सरपंच
ग्राम पंचायत चक बन्धा नं. 01
पं.स. कोलायत (बीकानेर)



सेवा मे,

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय
बीकानेर

महोदय जी,

विषय :- खनन पट्टे की पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में ग्रामीणों की ओर से आपति दर्ज करने बाबत ।

महोदय जी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम रोही डेह के खसरा नं 52, एम एल नं 612/2021 की यश अग्रवाल एवं मिनरल्स द्वारा खनन लीज विभाग द्वारा जारी करवाई गई है जिसकी पर्यावरण स्वीकृती को लेकर ग्राम पंचायत चक बंधा नं 01 साखंला बस्ती में जन सुनवाई का आयोजन दिनांक 03.10.2023 को होने जा रहा है।

पर्यावरण स्वीकृती को लेकर ग्रामीणों की ओर से आपतियां निम्न प्रकार से है ।

1. खनन पट्टा धारक द्वारा लीज क्षेत्र के ग्रीन बेल्ट सहित आस पास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार से वृक्षारोपण नहीं किया जाता है जिसके कारण क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है ।
2. पट्टाधारक द्वारा खनन करते समय राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम सहित अन्य अधिनियमों के तहत खनन कार्य नहीं किया जा रहा है
3. पट्टाधारक द्वारा खनन के दौरान माल को परिवहन करने वाले वाहनों को बिना तिरपाल से माल का परिवहन करते हैं जिसके कारण परिवहन के समय वाहनों से मिट्टी व धूल के कण हवा में उड़ते हैं जिसके कारण आबादी क्षेत्र से निकलने वाले वाहनों से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ।
4. खनन लीज क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को किसी भी प्रकार से सुरक्षा उपकरण मास्क, सेफटी सुज, हेलमेट आदी सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई जाती है जिसके कारण लगातार श्रमिकों के साथ लगातार हादसे होते रहते हैं ।
5. खनन प्रक्रिया के दौरान वायु को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपायों की पालना नहीं करते हैं
 - A. सड़को पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव नहीं करते हैं
 - B. धूल उत्सर्जन क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को डस्ट मास्क उपलब्ध नहीं करवाये जाते हैं ।
 - C. धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पट्टा क्षेत्र के बाहर हरित पट्टिका / वृक्षारोपण विकसित नहीं किये जाते हैं ।
 - D. वायु की नियमित जांच नहीं करवाते हैं ।
 - E. ट्रकों में ओवरलोडिंग से माल परिवहन करवाते हैं ।

6- ध्वनि प्रबंधन के नियमों का उल्लंघन

(अ). खनन क्षेत्र में कार्य के उपयोग में ली जाने वाली मशीनों का सही तरीके से रख रखाव नहीं किया जाता है जिसके कारण कार्य के समय शोर बहुत ज्यादा होने के कारण आस पास के आमजन को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है

- (ब). मशीनरी का उचित रख रखाव और टयुनिंग सुनिश्चित नहीं की जा रही है
- (स). मजदूरों को अत्यधिक शोर के प्रभाव से बचाने के लिए इयर प्लग एवं मफर्स का उपयोग नहीं करवाया जाता है ।
- (द). ध्वनि प्रसारण को रोकने के लिए पट्टा क्षेत्र के बाहर हरित पट्टिका वृक्षारोपण विकसित नहीं किया जाता है ।
- (स). ध्वनि गुणवत्ता का आवधिक निरीक्षण नहीं करवाया जाता है व भविष्य में किसी भी प्रकार से उचित प्रयास नहीं करते हैं ।

7- परियोजना लाभ

- A-** पट्टेदार स्थानीय पंचायत का समर्थन नहीं करता है क्षेत्र में सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के लिए सहायता प्रदान नहीं करता है पट्टेदारी कुशल एवं अकुशल कामगार स्थानीय एवं योग्यताओं के अनुसार कार्य नहीं देकर के बाहर के लोगों को कार्य देते हैं
- B-** बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधा सुधार एवं आवास , परिवहन , चिकित्सा , शिक्षा और अन्य नागरिक सुविधाओं से वंचित किया जाता है

8- जल प्रबंधन

- A-** वर्षा के समय बहने वाला पानी बाल क्ले में घुलकर आस पास के किसानों के खेतों में जाने के कारण उनके खेतों की फसल उपजाऊ दिनों दिन कम होने के कारण स्थानिय किसानों को बड़ा संकट का सामना करना पड़ रहा है
- B-** कुछ वर्षा का जल खनन पिट के अन्दर चला जाता है वर्षा जल को रोकने के लिए पिट के चारों ओर गारलैंड ड्रेन नहीं बनाये जाते हैं

9- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

- A-** खनिज उत्खनन से अनेकों बार विषैला पदार्थ निकलता है जिसके कारण आस पास के किसानों की खेत की मिट्टी प्रदूषित होती है ।
- B-** अपशिष्ट और सिल्ट को रोकने के लिए डम्प के चारों ओर रिटेनिंग वॉल नहीं बनाई जाती है ।
- C-** खनन क्षेत्र से निकलने वाले ओवर बर्डन को रिफिलिंग न करके आस पास लीज क्षेत्र से बाहर डाल दिया जाता है ।
- D-** अपशिष्ट डम्पो को स्थिर करने के लिए सभी सुरक्षा उपाय नहीं किये जाते हैं आवश्यकता होने पर डंपिंग के सिरे पर रिटेनिंग वॉल नहीं बनाई जाती है परिपक्व डम्प पर वृक्षारोपण नहीं करते हैं ।
- स्रोत पर अपशिष्ट उत्पादन को कम करने के लिए किसी भी प्रकार से देखभाल नहीं की जाती है ।

10- हरित पट्टिका विकास एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम पर ध्यान नहीं देना

CPCB दिशा निर्देशों के अनुसार पौधों की प्रजातियों को नहीं लगाया जाता है व वनीकरण योजना के तहत बैकफिल्ड क्षेत्रों और आबादी कनेक्टिंग सड़कों में वृक्षारोपण नहीं करते हैं बैरियर जोन और सड़कों में वृक्षारोपण आवश्यक होने के बावजूद न करते जिसके कारण क्षेत्रों में खनन कार्य एवं वाहन आंदोलन के परिणाम स्वरूप सूक्ष्म कण धूल के उड़ने के कारण स्थानियों को परेशानी होती है

11. खनिज क्षेत्र के 10 किमी त्रिज्या क्षेत्र में वन विभाग, ओरण, गोचर होने के कारण जिव जन्तुओं का आवागमन हमेशा होता रहता है और इससे जिव जन्तुओं को खनन कार्य के दौरान परेशानियों के कारण क्षेत्र से लुप्त होने जा रहे हैं
12. खनन क्षेत्र के पास में नदी नाला, वाटर चैनल्स व जल संसाधन विभाग के रिकॉर्ड में 90 sq में गंगा सरोवर बांध का पायतन है खनन से कहीं न कहीं बहाव क्षेत्र प्रभावित होगा
13. पास में ही जोगिरा तालाब, भलूरी तलाई, सुरजमल तलाई, मोटावता तलाई, खारी तलाई सहित कई तलाईया हैं जो कि वो भी खनन के दौरान प्रभावित होने की पूरी संभावना है
14. खनन कार्य के दौरान वायु, ध्वनि, जल एवं मृदा पर भी कहीं न कहीं बुरा प्रभाव पड़ेगा एवं इनकी गुणवत्ता व जांच पर पट्टाधारक ध्यान नहीं देते हैं।
15. खनन क्षेत्र के चारों ओर किसी भी प्रकार से फेन्सिंग और तारबंदी नहीं लगाई जाती है जिसके कारण पशु गिरने से आये दिन हादसे होते रहते हैं
16. जीव जन्तु

A- खनन पट्टा क्षेत्र के आस पास की भूमि वन, गोचर ओरण होने के कारण यहां जीवों की उपस्थिति बहुत ज्यादा है कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं जो लुप्तप्राय हैं इस प्रकार क्षेत्र में पाये जाने वाले जीवों पर खनन गतिविधि का बहुत बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा

निष्कर्ष

उपरोक्त बिंदुओं तथ्यों और आकड़ों को गहराई से देखने से पता चलता है कि पानी की गुणवत्ता, जल विज्ञान, मिट्टी भुविज्ञान, जैव विविधता, वायु गुणवत्ता, पर्यावरण, जोखिम के खतरे, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शोर और कंपन और ठोस अपशिष्ट उत्पादन पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा

पानी के छिडकाव नहीं करने से स्रोत पर धूल को कम नहीं किया जा सकेगा शोर वाले स्थान पर श्रमिकों को फेस मास्क, जूते और ईयर प्लग उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। खनिज का परिवहन ढके हुए तिरपाल से न करके आबादी भूमि से ओवरलोड वाहनों का उपयोग किया जाएगा, खनन पट्टा क्षेत्र में पियूसी बिना प्रमाणित वाहनों का उपयोग किया जायेगा, व क्षेत्र के लिए वायु गुणवत्ता मॉडलिंग पर ध्यान नहीं देते हैं एवं खनन कार्य दिन रात किया जाता है लीज क्षेत्र सहित आस पास वृक्षारोपण पर ध्यान नहीं दिया जाता है जिसके कारण स्थानिय ग्रामीणों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

26
31/7/2019

अजीत सिंह

2-2-2019

जाल नाथ

दिनांक

अजीत सिंह

प्रार्थीगण

समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत श्री बंधाना

प्रतिलिपि

1. मुख्य शासन सचिव शासन सचिवालय, जयपुर

Daleep Singh
Advocate
Raj High Court
Sri Kolayat (Bikaner)

3/8/19

2. प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
3. प्रमुख शासन सचिव खनन विभाग शासन सचिवालय जयपुर
4. प्रमुख शासन सचिव प्रदूषण विभाग शासन सचिवालय जयपुर
5. निदेशक खान एवं भू-विज्ञान विभाग उदयपुर
6. संभागीय आयुक्त महोदय बीकानेर
7. प्रमुख शासन सचिव वन पर्यावरण एवं जल वायु परिवर्तन विभाग जयपुर
8. अध्यक्ष राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर
9. शासन सचिव श्रम कारखाना एवं बॉयलर निरीक्षण एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं आयुक्त श्रम विभाग जयपुर
10. महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, चोपड़ा कटला, रानी बाजार, बीकानेर।
11. सदस्य सचिव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डेंगरी जयपुर
12. एकीकृत क्षेत्रिय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ए 209 व 218, अरण्य भवन, महात्मा गांधी रोड, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कार्यालय, एन एच 11. सिविल लाईन्स, बीकानेर।
14. क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बीकानेर।